न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 54/2016

श्री टीकमचंद पुत्र सांवरिया प्रसाद जाति भांबी निवासी टांटोटी तहसील टांटोटी जिला अजमेर।

–वादी

बनाम

1. नन्दू पुत्री छोटू
2. सुमित्रा पुत्री छोटू
3. मैना पुत्री छोटू
   समस्त जातिगण धोबी, निवासीगण टांटोटी तहसील टांटोटी जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टांटोटी जिला अजमेर।

– प्रतिवादीगण

वकील 1. श्री, सज्जन कुमार चौधरी, वादी
2. श्री पुष्कर्राज शर्मा, प्रतिवादी

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 16.01.2020

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आराजीयात वाकै ग्राम टांटोटी के तन में स्थित है जो राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2069 से 72 के खात सं. 670–644 में दर्ज है। जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादीगण का नाम नन्दू, सुमित्रा, मैना पुत्री छोटू धोबी है किन्तु राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण का नाम सीमा, आरती, लक्ष्मी पुत्रियां छोटू दर्ज है जिसमें पूर्व में उपखण्ड न्यायालय सरवाड़ के प्रकरण संख्या 140/16 में पारित निर्णय व डिक्रि दिनांक 30.05.2017 से प्रतिवादीगण का नाम दुरूस्त होने का आदेश हो चुका है। उक्त आराजी का विवरण निम्नानुसार है:–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
670–644	216	01–19–00	बा.3,चा.2

यह कि उपरोक्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है जिसमें वादी का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है एवं इसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। यह कि उपरोक्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त कब्जे काश्त में होने से आपस में विवाद होता रहता है तथा अपने हिस्से की आराजी तरकियात करने में काफी परेशानी रहती है। वादी ने प्रतिवादीगण को कही मर्तबा भूमि का विभाजन करने हेतु निवेदन किया परंतु वे आश्वासन देते रहे एवं दिनांक 10.05.2018 को इंकार हो गये इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ। यह की वाद वर्णित भूमि के 2/3 हिस्से का खातेदार है एवं इसी अनुसार विभाजन करवाने का हकदार है। वादी के हक हिस्से का विभाजन किया जाकर मौके पर नाप चोप किया जाकर पृथक से वादी के नाम उसके हक हिस्से की भूमि का जमाबंदी में बहैसियत खातेदार दर्ज किया जाना एवं लगान कायम कर राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.10.07 12:09:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आवश्यक है ताकि पक्षकारान के मध्य हमेशा के लिये विवाद मिट जावें। यह कि प्रतिवादी 4 लेण्ड लोर्ड है जो आवश्यक फरीक मुकदमा होने से उन्हें प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादी को बिनाय मुखासमत दावा दिनांक 10.05.2018 को उपरोक्त वर्णित कारणों से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। यह कि आराजी मुतदाविया न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार होने से वाद पत्र काबिल समायत अदालत आप है।

वादी द्वारा निम्न साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए:–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम टांटोटी संवत् 2069–2072

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। जवाब सरकार प्रस्तुत हुआ तहसीलदार टांटोटी द्वारा इस आराजी का विभाजन पत्रांक/भू.अ./2019/1003 दिनांक 25.11.2019 से प्रेषित किया जिसमें साथ पुराने ख. नं. 216 रकबा 0.31 हैक्ट. जिसके नये ख. नं. 232 बने प्रस्तुत किया। बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार तैयार कर प्रेषित किया है:–

क्र. सं.	ख.नं.	रकबा	किस्म	नाम खातेदार
1	232	0.30	चा.2	टिकमचंद पुत्र सांवरिया प्रसाद कौम भांबी सा. देह खातेदार
2	मिन. /232	0.11	चा.2	नन्दू, मैना, सुमित्रा पुत्रिया छोटू कौम धोबी ब.ह.व. सा. देह खातेदार

पक्षकारान् के अभिभाषक उक्त अनुसार तहसीलदार टांटोटी द्वारा प्रेषित किये गये बंटवारा प्रस्ताव से सहमत है। अतः बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तथा उक्तानुसार पक्षकारान् में बंटवारा किया जाता है। तहसीलदार टांटोटी उक्तानुसार किये गये बंटवारा के आधार पर पक्षकारान् के अलग–अलग खाते कायम कर लगान कायमी करे तथा वादवर्णित आराजी का विभाजन करे। वादी द्वारा 100 का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अंतिम डिक्रि जारी की गई। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.10.07 12:09:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner